

Skill Development Programme

For Answer Writing

नीतिशास्त्र (मॉडल उत्तर)

दिनांक-05 दिसम्बर, समय : 6:30 pm

मुख्य परीक्षा

1. मूल्यों और नैतिकता से आप क्या समझते हैं? (100 शब्द, 7.5 अंक)
What do you understand by 'values' and 'ethics' ? (100 Word, 7.5 Marks)

उत्तर- मूल्य व्यक्ति व संस्था की वह अवधारणा है, जिसके द्वारा नैतिकता की नीतिशास्त्रीय अवधारणा को मूर्त रूप दिया जाता है। जैसे सच्चाई, ईमानदारी, न्याय, करुणा, श्रमशीलता, ईमानदारी, न्याय, करुणा, क्षमाशीलता, परोपकारिता इत्यादि। व्यक्ति की ऐसी मानसिक अवस्थाएं हैं, जिनकी व्यक्ति इच्छा करता है और उन्हें अच्छा मानता है, क्योंकि मूल्य के बिना मूल्यांकन संभव नहीं है और बिना मूल्यांकन के नीतिशास्त्र भी संभव नहीं है।

अच्छे और बुरे, सही और गलत या उचित या अनुचित के मानकों के समूह को नैतिकता कहते हैं। इसका निर्धारण किसी कार्य के नतीजे या उद्देश्य के प्रयोग के आधार पर किया जाता है। जिसे क्रमशः परिणाम सापेक्षवादी तथा कर्तव्यवादी नैतिकता के रूप में देखा जाता है।

जब अच्छाई का निर्धारण सुख या उसकी उपयोगिता के विकास तथा अन्तर्श्वेतना में स्वीकार धारणाओं के आधार पर किया जाए तो उसे परिणाम सापेक्ष नैतिकता कहते हैं वहीं कार्यों के परिणाम के आधार पर निर्धारित नैतिकता कर्तव्यवादी नैतिकता कहलाता है।

इस प्रकार मूल्य नैतिकता के निर्धारण और मूल्यांकन की नीतिशास्त्रीय अवधारणा प्रस्तुत करता है।

2. जहाँ भी हितों का टकराव मौजूद होता है, वहाँ नैतिक प्रश्न उपस्थित होता है। सोदाहरण स्पष्ट करें। (100 शब्द, 7.5 अंक)

Wherever 'conflict of interest' exists there ethical questions arises? Illustrate your questions with example. (100 Word, 7.5 Marks)

उत्तर- हितों के टकराव से तात्पर्य सार्वजनिक तथा निजी जीवन में कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के निर्वहन में द्वन्द्व की स्थिति से है। जिसमें व्यक्ति अपने सार्वजनिक कर्तव्यों जैसे सच्चाई, ईमानदारी, न्याय तथा सत्यनिष्ठा जैसे नैतिक कर्तव्यों की उपेक्षा कर अपने निजी हितों जैसे वित्तीय संरक्षण, आय, वेतन, लाभांश, नियुक्ति में पक्षपात पूर्ण रूपयों को अपनाने के हितों के टकराव की संज्ञा दी जाती है।

इन हितों के टकराव में सच्चाई, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता तथा न्याय जैसे सार्वजनिक नैतिक मूल्यों का हनन होता है, जिसे निम्न उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है।

वर्ष 2013 में एम.एस. श्रीनिवासन जो इण्डिया सिमेंट के मालिक होने के साथ वी.सी.सी.आई. के अध्यक्ष का पद भी धारण कर रहे थे, जो संविधान में वर्णित 'किसी सार्वजनिक पद पर रहते हुए लाभ का पद न धारण करता हो।' जैसे संवैधानिक नियमों का उल्लंघन करता है। साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स का मालिकाना हक धारण करने से नैतिक प्रश्न उपस्थित होता है।